कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)

सामान्य सभा की संम्मिलन दिनांक 20.12.2016 की कार्यवली

सदन की कार्यवाही 12.00 बजे वन्दे मातरम् के साथ प्रांरभ की गई । सदन की कार्यवाही प्रांरभ होते ही विधायक व सांसद प्रतिनिधि मान0 श्री बी0जयराम जी एवं मान0 श्री दीपक त्रिवेदी जी का मान0 महापौर एवं मान0 नैताप्रतिपक्ष ने पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया । तत्पश्चात् मान0 अध्यक्ष(स्पीकर) जी के द्वारा वर्ष 2016 के अंतिम सामान्य सभा होने के चलते मान0 महापौर जी को उनके कार्यकाल के क्रियाकलाप का ब्यौरा प्रस्तुत कर सदन को अवगत कराने को कहा गया । जिसपर मान0 महापौर महो0 जी द्वारा सदन को बताया गया कि वर्ष 2016–17 के दौरान विकास कार्य के लिए समस्त सहयोगी पार्षदों, जनसाधारण, को सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए सबसे पहले दलपत सागर का जिक्र किया जिसमें जिला प्रशासन के माध्यम से सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया । वर्तमान समय तक निम्न कार्ययोजना की दिशा में कार्य किया जा रहा है । जो इस प्रकार है :– अमृत योजना अन्तर्गत उदयान वाटिका सौंदर्यीकरण, खेल मैदान का उन्नयन, सिरासार फेस–1 व फेस 2 के कार्य, रैना बसेरा निर्माण, मंगलभवन निर्माण, लालबाग के चारो ओर फूटपाथ निर्माण, शहर के विभिन्न स्थानों में स्थित 05 तालाबों के सौंदर्यीकरण की दिशा में कार्य योजना तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है, 10 वाटर एटीएम लगाए जाने का टेण्डर जारी करने की प्राथमिकता का जिक्र करते हुए मान0 महापौर महो0 जी द्वारा आगामी मार्च तक इन कार्यो को मूर्त रूप दिये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है ।

मान0 महापौर जी के उपरोक्त कथन के दौरान बीच में रोकते हुए मान0 नेताप्रतिपक्ष श्री संजय पाण्डे जी के द्वारा कहा गया कि आपके पास बोलने के लिए टेण्डर के अलावा कुछ भी नही है । अमृत योजना केन्द्र सरकार की योजना है, दलपत सागर सौंदर्यीकरण का कार्य, जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है । मान0 महापौर जी द्वारा होडिंग्स बोर्ड, स्वीमिंग पुल जैसे मुद्दे पर टेण्डर आने के बावजूद भी दर कम किये जाने पर सफाई देने, विवेकानन्द स्कूल मैदान को किराये पर देने एवं विभिन्न प्रकार के करो में बढ़ोत्तरी किये जाने का प्रस्ताव पिछले सामान्य सभा में लाने की बात उठाते हुए उनके घोषणा–पत्र का जिक्र किया गया । उन्होनें कहा कि मान0 प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 02 महत्वपूर्ण कार्य सर्जिकल स्ट्राईक एवं नोटबंदी कर कालेधन पर रोक लगाते हुए भष्ट्राचार रोकने की दिशा में किये गये साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, सबके लिए आवास योजना एवं स्वच्छता के अभियान दिशा में किये जा रहे कार्यो के लिए मान0 प्रधानमंत्री जी को सदन के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करने का प्रस्ताव रखा गया । जिसपर सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकर कर धन्यवाद व्यक्त किया गया । जिसके पश्चात् मान0 अध्यक्ष(स्पीकर) जी द्वारा 29.11.2016 को जारी एजेण्डे के अतिरिक्त विषयों पर चर्चा कराया गया ।

1	मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 28.11.2016 के संकल्प कमांक 01 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 2015 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत बनाने हेतु स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई । जिसके दो घटक है :– 1. खुले में शौच मुक्ति । 2. स्वच्छता के प्रति लोगों की आदतों तथा नजरिये में बदलाव लाना । उपरोक्त दोनों ही घटकों की पूर्ति एवं प्रभावी कियान्वयन के लिए समस्त नगरीय निकायों को आत्म निर्भर बनाया जाना अति आवश्यक है ताकि निकायों द्वारा ज्यादा से ज्यादा अधोसंरचनाओं तथा सुविधाओं का निर्माण तथा संचालन किया जा सकें । इसी तारतम्य में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ सर्वेक्षण" का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत् निकायों को उनके द्वारा जन सहभागिता से अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रयासों के आधार पर स्वच्छता को बढ़ावा देने एवं जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न मानकों पर रैकिंग प्रदान करने की योजना है ।	विषय पर चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना की स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की जाती है । साथ ही सेवा शुल्क का निर्धारण के पूर्व विषय सदन में लाकर चर्चा उपरांत पृथक से निर्णय लिया जावेगा ।

	वर्तमान में स्वच्छ सर्वेक्षण –2017 में देश के 500 नगरीय निकायों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें जगदलपुर नगर निगम भी शामिल है । इसी के तहत् राज्य सरकार के राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निकायों में स्वच्छता सेवा शुल्क लगाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है, जो कि जगदलपुर नगर निगम की स्वच्छ सर्वेक्षण – 2017 में रैकिंग सुधारने में भी एक आवश्यक घटक है । अतः उपरोक्तानुसार निकाय द्वारा स्वच्छता सेवा शुल्क की दरों का निर्धारण शासन के प्राप्त नियमानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर सामान्य सभा के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत ।	
2	मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 28.11.2016 के संकल्प कमांक 02 में वर्तमान में निगम क्षेत्रान्तर्गत संचालित विद्युत व्यवस्था पुरानी अधोसंरचना पर आधारित है । जिसकी वजह से निगम पर संधारण के अलावा विद्युत बिलों के खर्चो में भी उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित हो रही है । माननीय शहरी विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी के पिछली समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में तथा विद्युत व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन तथा पूर्णरूपेण स्वचालित उपकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण करने हेतु पुराने समस्त विद्युत बल्बों, ट्यूब लाइट्स एवं हेलोजन लाइट्स को नवीन एल0ई0डी0 लाईट्स से बदलने की अनिवार्य आवश्यकता है । इसमें निगम की संपूर्ण विद्युत व्यवस्था का बिना खर्च के नवीनीकरण हो जायेगा साथ ही विद्युत खपत में कम से कम 40% की बचत के तौर पर आय में वृद्धि करेगी । इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन भत्ते में भी कटौती होगी । अतः विद्युत व्यवस्था में सुधार के मद्देनजर वर्तमान लाईट्स का एल0ई0डी0 लाईट्स में परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर सामान्य सभा के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत ।	विषय पर चर्चा के दौरान मान0 नेताप्रतिपक्ष जी के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में मान0 महापौर जी के कथन को लेकर प्रश्न उठाया गया तथा पूछा गया कि इस कार्य हेतु एजेन्सी का चयन कर लिया गया है क्या ? इस पर मान0 महापौर महो0 जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि किसी प्रकार की कोई एजेन्सी का चयन नही किया गया है । निगम द्वारा स्ट्रीट लाईट के मरम्मत, संधारण कार्य पर प्रतिवर्ष लगभग 40–50 लाख का व्यय होता है । इसके रोकथाम की दिशा में यह प्रस्ताव सदन में लाया गया है । प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई ।
3	मेयर–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 28.11.2016 के संकल्प कमांक 03 के द्वारा " प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन" अंतर्गत राज्य शासन, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय संरचना के संबंध में दी गई सैद्धान्तिक सहमति अनुसार योजनाओं के कियान्वयन हेतु निकाय की सहमति दिये जाने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर सामान्य सभा के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत ।	प्रकरण का अवलोकन किया गया । राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर के पत्र कमांक/9/सूडा/एचएफए/2016/25, दिनांक 19.10.2016 अनुसार "प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास मिशन" अंतर्गत योजनाओं के कियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा वित्तीय संरचना के संबंध में दी गई सैध्दांतिक सहमति के अनुसार निकाय अंश तथा हितग्राही अंशदान की पूर्ति करने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है । परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्ते मान्य होगी । उक्त संबंध में मिशन अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति एवं कियान्वयन हेतु समस्त कार्यवाही करने के लिए आयुक्त, नगरपालिक निगम, जगदलपुर को अधिकृत किया जाता है ।

प्रतिपक्ष द्वारा सदन का वाकआऊट किया गया । जिसके कारण प्रश्नों पर चर्चा नही हो पाई । किन्तु प्रश्न एजेण्डे में जुड़ जाने से प्रश्नों के जवाब जो विभागों से आए है उसे जुड़े जा रहे है ।

01. माननीय श्री नरसिंह राव जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	यह कि सन् 1996–97 से लेकर अगस्त 2016 तक दलपत सागर में जो भी प्रशासनिक व जन भागीदारी से विकास कार्य हुए है उसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए सदन में चर्चा कराये जाने का कष्ट करें । विदित हो कि गत 20.09.2016 को नगरपालिक निगम द्वारा आयोजित सामान्य सभा में मेरे द्वारा उक्त जानकारी चाही गयी थी । जिसकी अपूर्ण जानकारी मुझे उपलब्ध करायी गयी थी । कृपया संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	(1)	7 जून वर्ष 2000 में कलेक्टर बस्तर महोदय द्वारा म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 101 अनुसार दलपत सागर जगदलपुर के प्रबंधन का अधिकार नगरपालिका जगदलपुर को सौंपा गया। इसके पूर्ण प्रबंधन का अधिकार दिनांक 18/03/1997 को सहा0 संचालन मत्स्य विभाग द्वारा जिला पंचायत को दिया गया था जो निरस्त हो गया।
2.	यह कि वर्तमान वर्ष 2016 में दलपत सागर के विकास कार्य हेतु कोई कार्य योजना बनी है ? यदि बनी है तो कार्य योजना एवं आमंत्रित निविदा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए सदन में चर्चा कराये जाने का कष्ट करें ।	(2)	माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित पत्र क्र. 350 जगदलपुर दिनांक 26.04.2002 दलपत सागर विकास योजना हेतु 68.47 लाख का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया जिसमें गहरीकरण/बांध चौड़ीकरण/डामरीकरण सम्मिलित थे। दिनांक 25.04.2002 की स्थिती में 3.54 लाख व्यय किया गया जिसमें 20 लाख का भुगतान शेष था।
		(3)	विभागीय अभिलेखों के अनुसार सर्वप्रथम पालिका द्वारा पारित संकल्प दिनांक 21/05/2002 इंदिरा शहरी सरोवर योजना के अंतर्गत डी.पी.आर. तैयार कर राज्य सरकार को दलपत सागर सरोवर हेतु 12.38 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया। जिसके अन्तर्गत 20.00 लाख रूपये प्रथम स्वीकृति के अनुसार 8.00 लााख प्रदाय किया गया। जिसमें तात्कालीन परिषद् द्वारा 24,45,540.00 रूपये गहरीकरण में व्यय किया गया।
		(4)	नगरपालिका परिषद का विघटन 30 अक्टूबर 2002 के संदर्भ में प्रशासक का कार्यभार सौंपा गया। प्रशासक द्वारा आयुक्त को लिखे गये पत्र अनुक्रम दलपत सागर के अपूर्ण कार्य को जारी रखा जाए का निर्देश दिया गया।
		(5)	वर्ष (2007–08) में दलपत सागर में अधोसंरचना विकास हेतु 25.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदाय की गई जिसमें आईलैण्ड पीचिंग एवं अन्य विकास कार्य हेतु दिनांक 01.03.2008 को निविदा जारी किया गया।
		(6)	दिनांक 24 मई 2010 दैनिक भास्कर में प्रसारित समाचार जल संधारण विभाग द्वारा 6 करोड़ की योजना बनाई गई थी जिसका क्रियान्वयन अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सका।
		(7)	दलपत सागर तालाब हेतु प्राप्त सक्षम तकनीकी स्वीकृति अनुसार निम्नानुसार कार्य कराया गया है :– 1. दलपत सागर पर पार्श्व क्षेत्रफल पर गहरीकरण – 89.71 लाख 2. दलपत सागर तालाब का गहरीकरण– 79.76 लाख 3 .पश्चिमी छोर पर गहरीकरण 64.05 लाख 4. दक्षिणी छोर पर गहरीकरण 64.58 लाख उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति सामान्य सभा से 298.8 लाख का प्राप्त है। जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT) अन्तर्गत प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति पत्र क्र. 10211/जि.पं./प्रशा0स्वी0/DMFT/2016–17,जगदलपुर दिनांक 9/11/2016 के अनुसार Restoration of Dalpat Sagar Lake Jagdalpur के अनुसार नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा निम्न कार्य किया गया।

		Restoration of Dalpat Sagar Lake Jagdalpur Paved area Levelling and dressing of existing dismantled debris Ornamental garden chairs Landscaping works Repairing of street lighting pole (island development) M.S. railing 1.2 m height Construction of pitching (Toe wall) Repairing and construction area **Amount** **49.5 Lacs** उपरोक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति 49.5 लाख की प्राप्त है। जिसकी निविदा की कार्यवाही पत्र क्रमांक 3488/नपानि/लोनिवि/2016 जगदलपुर दिनांक 18/11/16 द्वारा किया गया है।

02. माननीय श्रीमती उमा मिश्रा जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	जैसा कि आप सब जानते है प्रतापदेव वार्ड शहर के मध्य एक बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र है । यहॉ युरिनल कि व्यवस्था होनी चाहिए एवं लाइटो कि ओर भी सुचारू रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ।	1. सामान्य सभा के पारित सभा के सम्मिलन दिनांक 20.09.2016 के कार्यवाही विवरण के अनुसार प्रताप देव वार्ड में पार्षद महोदय द्वारा उचित स्थल चिन्हाकित करने पर ही अग्रिम कार्यवाही सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जावेगा के क्रम में जगह को चिन्हित पार्षद द्वारा किया गया है। प्राक्कलन सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। 2. विभिन्न वार्डो में स्ट्रीट लाईट मरम्मत कार्य समय–समय पर किया जाता है । आपके वार्ड के शेष मरम्मत कार्य को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर दिया जावेगा ।
2.	वार्ड में पुल पुलिया में फसी सेट्रिंग प्लेटस को भी निकाला जाना चाहिए । ताकि नल्ली एवं नाले का प्रवाह गतिमान हो सकें ।	वार्ड में पुलिया निर्माण में फंसी सटरिंग प्लेट को निकालने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाता है। यदि ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही किया जाएगा।

03. माननीय श्री घनश्याम बघेल जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	आगंनबाड़ी की आवश्यकता है जो किराया से चल रहा है ।	आंगनबाड़ी भवन का निर्माण की स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर महिला बाल–विकास जगदलपुर द्वारा किया जाता है। नगर निगम मात्र निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आंगन बाड़ी भवन निर्माण हेतु वर्ष 11–12 एवं 12–13 में कुल 11 आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किये गये। जिसमें 3 आंगन बाड़ी पूर्ण हो चुके है शेष आंगन बाड़ी भवन का कार्य प्रगति पर है। आंगन बाड़ी की आवश्यकता के अनुक्रम में स्थल चयन पश्चात् ही प्रस्ताव नगर निगम से भेजा जाना है ।

2.	वार्ड वासियों की मांग राशन दुकान की आवश्यकाता है ।	राशन दुकान के निर्माण की स्वीकृति खाद्य विभाग से की जाती है। नगर निगम मात्र निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में राशन दुकान स्वीकृति थी किन्तु स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका।

04. माननीय श्री संजय बाफना जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	48 वार्डो में एजेन्सी द्वारा भिन्न कार्यो की जानकारी पूर्ण व अपूर्ण क्यों शेष है । एजेन्सी ठेकेदारो को सदन के समक्ष बुलाया जाए । पार्षदों को समक्ष जानकारी दिया जावें । क्या उनकों भुगतान नही किया जाता है किया जाता है तो काम अधूरा क्यो ?	विभागीय अधिकारी द्वारा मान0 पार्षद महो0 को विस्तृत जानकारी पृथक से उपलब्ध कराई जाए।
2.	जनहित में सुलभ को तोड़ कर अवैध निर्माण के विषय में विजय वार्ड क.–02 के वार्ड वासी द्वारा सदन को विस्तार से जानकारी पार्षद प्रवीर वार्ड द्वारा अवगत व नगर निगम जगदलपुर में कितने कर्मचारी अधिकारियों का स्थानांतरण जगदलपुर से अन्य निकायों में हुआ उनको आज दिनांक तक रिलीफ क्यों नही किया गया ।	जनहित में सुलभ को तोडकर अवैध निर्माण के संबंध में विजय वार्ड 02 के वार्ड पार्षद द्वारा पत्र दिनांक 22.11.2016 को प्रेषित कर जवाब प्रस्तुत किया है । सामान्य सभा में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त अवैध निर्माण तत्काल हटाये जाए, जिसपर श्री एस0बी0शर्मा, कार्यपालन अभियंता ने सदन को आश्वस्त किया की उक्त अवैध निर्माण 48 घण्टे के अन्दर हटा दिया जावेगा ।

05. माननीय श्री अतुल कौशल जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	अपने वार्ड के समस्याओं के विषय में चर्चा ।	सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण चर्चा नही हो पाई ।

06. माननीय श्रीमती रोशन सिशोदिया जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	मेरे वार्ड में सड़क के लाईटों की कमी है और हमारे पड़ोस के वार्ड में लाईटों की पूर्ति बिना परेशानी के कर दी जाती है । अतः आपसे निवेदन है कि निगम के द्वारा इस का पक्षपात क्यों किया जा रहा है ।	नये स्ट्रीट लाईट सेट की खरीदी नही की गई है । नये स्ट्रीट लाईट सेट की खरीदी होने के पश्चात् वार्ड में नये सेट लगवा दिये जाएगें ।

07. माननीय श्री राजपाल कसेर जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	वार्ड मोहर्रिर पर चर्चा ।	सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण चर्चा नही हो पाई ।
2.	टीप्पर चालक पर चर्चा ।	(अ) वर्तमान में नयी गाड़ी आयी है उसमें टिप्पर एवं आटो चालक प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा रखा गया है । (ब) नगरपालिक निगम के नियमित चालकों को किसी निजी कम्पनी को नही दिया गया है ।

08. माननीय श्रीमती राधिका यादव जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	वार्ड के नाली निर्माण पर चर्चा ।	सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण चर्चा नही हो पाई ।
2.	जेसीबी पर चर्चा ।	प्र0स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक–20, दिनांक 30.11.2016 के द्वारा जेसीबी एवं टिप्पर हेतु समय निर्धारण कर दिया गया है । जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य किया जा रहा है । उक्त निर्धारण की छायाप्रति समस्त मान0पार्षदगण को उपलब्ध कराई जावेगी । ताकि मान0पार्षदगण द्वारा बताये गये कार्यो का सतत् मॉनिटरिंग हो सके ।

09. माननीय श्री धनसिंह नायक जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	मूलभूत सुविधा मेरे वार्ड वासियों को देना चाहा जिसके लिए मैने पार्षद निधि से पाईप लाईन बिछाया लेकिन इतना अहम होने के बावजूद कनेक्शन नही कराया गया। इतना भेदभाव आखिर क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2016–17 की वार्षिक निविदा के तहत् माह नवम्बर 2016 में सामग्री क्रय हेतु क्रयादेश जारी हुआ है, अगले 15 दिनों के अंदर सामग्री आने पर पाईपलाईन जोड़ दिया जावेगा ।
2.	पिछले सामान्य सभा में श्री सुरेश जेसीबी ड्राईवर को वापस अपने कार्य पर लाया व राकेश झलके को भी एक हफते के अंदर बदल देगें बोले लेकिन कार्य नही हुआ । मैं इनको निकालने की बात नही कर रहा हूँ परन्तु मैं इनको अपने मूल कार्य में वापस भेजा जाए (अन्यथा नगर निगम सामने तीन दिवसीय धरना होगा)	श्री राकेश झलके,प्र0उपअभियंता के पास कुल 10 वार्डो का प्रभार था, जिसमें से 06 वार्डो को हटाकर अन्य उप अभियंताओं को दिया गया है । श्री राकेश झलके वर्तमान में ओडीएफ जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है जिसे दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाना है, उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उन्हें उनके मूल कार्य में वापस भेज दिया जावेगा । शासन के आदेशानुसार श्री हेमन्त श्रीवास,क.स्वा.निरी. का स्थानान्तरण नगरपालिक निगम, जगदलपुर में किया गया है । उनकी पदस्थापना के पश्चात् श्री राकेश झलके एवं श्री सुरेश सिंह, चालक को वर्तमान कार्य से भी पृथक किया जावेगा ।

10. माननीय श्री कौशिक शुक्ल जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	शहर में रोड किनारे रेती गिट्टी मलबा आदि रखे रहते है । इस संबंध में निगम द्वारा क्या कार्यवाही किया जा रहा तथा शुल्क लिया जाता है या नही एवं समाग्री रखे जाने की कोई समय सीमा है या नही ।	प्र0स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक 3567, दिनांक 26.11.2016 के द्वारा सार्वजनिक सड़क पर मलबा रखने के संबंध में पत्र जारी किया गया है । जिसके अनुसार 03 जोन में नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जा रही है । जिसमें 24 घण्टे का समय प्रदाय किया गया है तथाा मेयर–इन–कौंसिल की बैठक की दिनांक 18.11.2016 संकल्प क्रमांक 01 में मलबा सफाई हेतु छोटी गाड़ी रू0 500 एवं बड़ा टिप्पर रू0 1000 किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी है ।

2.	निगम के सफाई एवं विद्युत कर्मचारियों के द्वारा कार्य अवधि के समय उनकी सुरक्षा संबंधी में निगम द्वारा क्या व्यवस्था एवं बीमा की व्यवस्था किया गया है कि नही।	1. निगम के सफाई कर्मचारियों के लिये वर्षा ऋतु में रेनकोट एवं लागबुक हेतु भावपत्र आमंत्रित किया गया था । परंतु भावपत्र में किसी भी फर्म/एजेंसी द्वारा भाग नही लेने के कारण सामग्री प्रदाय नही किया गया है । इसी प्रकार मल–जल निकास(सीवर) तथा सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नियुक्त कर्मचारियों के लिये शीघ्र सुरक्षा सामग्री एवं सुरक्षा संबंधी (कुल 20) उपकरण के संबंध में अलग से नस्ती तैयार किया जा रहा है । 2. निगम द्वारा वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नही की गई है ।

11. माननीय श्री संग्राम सिंह राणा जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	जगदलपुर में नये एयरपोर्ट/रोड चौड़ीकरण के विषय पर विस्तार से चर्चा । (अ) एयरपोर्ट/रोड चौड़ीकरण बनाने हेतु किन–किन जगहों को तोड़ने के लिए चिन्हाकिंत किया गया है ? विस्तार से चर्चा । (ब) लोगों को हटाने के पश्चात् विस्तापित करने के लिए क्या–क्या कार्य योजना बनाई गई है ? विस्तार से चर्चा । (स) अतिक्रमण हटाने हेतु निगम से जारी नोटिस किस नियम के तहत् जारी हुआ है । सदन को बताए ? (द) पूर्व में जहॉ जगह चिन्हाकिंत किया गया था, उस स्थान पर एयरपोर्ट को डब्लप किया जाए ।	(1) जगदलपुर में नये एयरपोर्ट/रोड चौड़ीकरण योजना नगर निगम की नहीं है। उपरोक्त कार्य Regional connectivity के तहत राज्य सरकार योजनांर्गत जिला प्रशासन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। (2) पुनरीक्षित सर्वे के पश्चात् किसी को भी हटाने की कोई योजना नहीं है। बल्कि By pass को परिवर्तित करने की योजना पर जिला प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है। (3) उपरोक्त नोटिस तत्कालीन सर्वे के आधार पर जिला प्रशासन के निर्देश पर जारी किये गये है। (4) चूंकि एयर स्ट्रिप विस्तार योजना निगम की नहीं है अतः इस पर निर्णय लेने का अधिकार निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
2.	गंगामुण्डा शंकर जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने कें संबंध में नगर निगम के कर्मचारियों पर लगे आरोप पर क्या कार्यवाही की गई । विस्तार से चर्चा । नगर निगम जगदलपुर क्षेत्रान्तर्गत जितने भी छोटे–छोटे तालाब है, उनकों नये स्वरूप /संरक्षित करने के लिए क्या–क्या प्रयास किया जा रहा है । विस्तार से चर्चा ।	गंगा मुण्डा शंकर प्रतिमा के क्षतिग्रस्त के संबंध में नगरपालिक निगम, जगदलपुर के सामान्य सभा के सम्मिलन दिनांक 20.09.2016 की कार्यवाही बैठक में दिये गये निर्देशानुसार नस्ती अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जा रही है जो कि शासकीय अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। नगर निगम द्वारा P.W.D. manual के अनुसार/अनुबंध की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। condition of contract के अंतर्गत कार्यवाही विधि सम्मत है। उसका पालन कर विधिवत् कार्यवाही की गई है। ठेकेदार द्वारा लिखित में पत्र प्रेषित कर क्षतिग्रस्त प्रतिमा को पुनःसंधारण किया गया है। जिसका hand over नहीं लिया गया है। उसका 2.00 लाख रूपये रोकी गई है। अंतिम देयक की स्थिती में Structural stability का प्रमाण पत्र ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही कार्य पूर्ण करने का सूचना दिया गया है।

		अनुबंध की कंडिका 9–10 के अंतर्गत कार्यवाही करने की सक्षम स्वीकृति आयुक्त नगरनिगम जगदलपुर द्वारा दी गई है। चूंकि वर्तमान में hand over की कार्यवाही नहीं हुई है अतः अग्रिम कार्यवाही नहीं किया गया है। नगरनिगम के क्षेत्रांर्गत 5 छोटे–छोटे तालाबों का प्रस्ताव भेजा गया है। राशि स्वीकृत होने पर कार्य कराया जाएगा। तालाबों के नाम इस प्रकार है :– 1. पंडरी तरई 2. दिप्ती कान्वेंट के पास का तालाब 3. चुआ तरई 4. गाय ढोडस 5. भुतहा तालाब

12. माननीय श्रीमती इन्दिरा सिन्हा जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	वार्ड में मेन रोड आकाशवाणी कॉलोनी से होकर साकेत कॉलोनी तक दशहरा के पहले से अंधेरा छाया हुआ है । कई बार कम्पलेन करने बाबजूद अभी तक अंधेरा है । वार्ड अंदर लगाने की दूसरा दिन बुझ जाता है ।	स्ट्रीट लाईट की मरम्मत एक सप्ताह के अन्दर करवा दिया जावेगा ।
2.	जेसीबी नाली खोदने वाली का समय निर्धारित किया जाए, बड़ी नालियां जाम पड़ा रहता है ।	प्र0स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक 20, दिनांक 30.11.2016 के द्वारा जेसीबी एवं टिप्पर हेतु समय निर्धारण कर दिया गया है । जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य किया जा रहा है । उक्त निर्धारण की छायाप्रति समस्त मान0 पार्षदगण को उपलब्ध कराई जावेगी । ताकि मान0 पार्षदगण द्वारा बताये गये कार्यो का सतत् मॉनिटरिंग हो सकें ।

13. माननीय श्री अशोक यादव जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1	मेरे वार्ड चन्द्रशेखर आजाद वार्ड में करीब 8 माह से अधूरी नाली के संबंध में विचार एवं चर्चा ।	चंद्रशेखर वार्ड में नाली का निर्माण किया गया है। किन्तु स्थानीय नागरिकों द्वारा मान. उच्च न्यायालय में दायर किये गये रिट पिटिशन के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुक्रम में Demarcation का कार्य कराये जाने के पश्चात् ही कार्य को कराये जाना है। Demarcation का कार्य नजूल एवं तहसील स्तर एक बार किया जा चुका है किन्तु माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार फिर से अंतिम रूप से तहसील विभाग से किया जाना है। फिर से स्मरण पत्र तहसील विभाग को Demarcation हेतु पत्र भेजा गया है Demarcation के बाद ही कार्य किया जाना है।

2.	राजस्व अधिकारी द्वारा जबरन अटल आवास खाली करके दूसरो को स्थापना कराया गया है । इस संबंध में चर्चा ।	विभागीय अधिकारी द्वारा मान0 पार्षद महो0 को विस्तृत जानकारी पृथक से उपलब्ध कराई जाए।

14. माननीय श्री संतोष गौर जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	पुलिया, सीसी रोड पर चर्चा । (अ) एलआईसी रोड तालाब के पास पुलिया । (ब) डोगरी पारा नर्सरी के पास से सीताराम किराना स्टोर्स तक ।	1. LIC रोड पर तालाब के पास पुलिया निर्माण का कार्य हेतु में ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं कराये जाने के ऐवज में अनुबंध की कंडिका 3C के अंतर्गत नोटिस भी जारी किया गया किन्तु नोटिस के बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया गया ठेकेदार के विरूद्व अनुबंध की कंडिकाओं के प्रावधान के अंतर्गत जमा अमानत राशि/सुरक्षा निधि राजषात करने हेतु अंतिम सूचना एजेंसी को भेजा गया है। पत्र के प्रतिउत्तर में अग्रिम कार्यवाही निगम द्वारा किया जाना है। 2. डोंगरीपारा नर्सरी के पास से सीताराम किराना स्टोर्स तक डब्ल्यू.बी.एम. का निर्माण कार्य 5 वर्ष पूर्व कराया गया है जिसका अंतिम देयक भुगतान लंबित है।
2.	शहर पर अन्डर ग्राउण्ड पाईप पर चर्चा ।	सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण चर्चा नही हो पाई ।

15. माननीय श्री रामाश्रय सिंह जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि निगम के समूहों में कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्लेसमेंट में 20 प्रतिशत अधिक दर पर करने का प्रस्ताव एमआईसी में पास कर दिख गया है, इस प्रस्ताव को सामान्य सभा में लाकर चर्चा करना ।	मान0 पार्षद महो0 के प्रश्न के संबंध में सदन में चर्चा कराई गई जिसका विस्तृत विवरण पेज नं0 14 में दर्शित है ।
2.	जगदलपुर नगर में कितनी वैध व अवैध कॉलोनियॉ है, नियम मापदण्डों के तहत क्या उनका निर्माण हुआ है, कितनी भूमि पर कॉलोनाईजर्स ने कॉलोनी बनाई है, गरीबों के लिए आरक्षित ईडब्लूएस की 15 प्रतिशत भूमि क्या मापदण्डों निमयों के तहत् गरीबों को कॉलोनाईजर्स या नगर निगम द्वारा दी गई है । सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित प्रदान कर चर्चा करे ।	छत्तीसगढ़ नगरपालिका कालोनाईजर नियम 1998 के अंतर्गत ऐसी कॉलोनिया अनाधिकृत कालोनी के प्रवर्ग में मानी जावेंगी जो कालोनाईजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश, शहरी भूमि अधिकतम सीमा, भूमि का व्यपवर्तन, नजूल तथा नगरपालिका से वैध अनुमति प्राप्त किये बिना निर्मित कर ली गई हो। वैध कॉलोनी की सूची को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति के बाद सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कॉलोनी अपडेट की जानकारी दिनांक 17.12.2015 के बाद लंबित है जिसकी विस्तृत जानकारी तैयार करने में 2 से 3 माह का समय प्रदाय किये जाने हेतु मांग की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक(17.12.2015) के अनुसार कॉलोनियों की कुल संख्या 30 जिसमें आश्रय शुल्क जमा कॉलोनी–09, कॉलोनी में निगम द्वारा अटल आवास निर्मित–07, कॉलोनी में रिक्त भूमि–06, कालोनाईजर द्वारा निर्माण करके देना है–02, कॉलोनी जिसमें आश्रय शुल्क जमा नहीं–02, कॉलोनी जिसमें नस्ती नहीं है–03, कॉलोनी जिसमें न्यायालयी प्रकरण लंबित है–01। 5 कॉलीनियों के

		ई,डब्ल्यू.एस. भूमि पर हाऊसिंग फॉर ऑल पर 288 आवास का निर्माण हेतु सूडा द्वारा स्वीकृत के अनुक्रम में निविदा आमंत्रित की गई है।
3	नया बस स्टैण्ड परिसर में हो रही यात्रियों को असुविधा, बेजा कब्जा, गंदगी एवं अव्यवस्था पर चर्चा ।	सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण चर्चा नही हो पाई ।

16. माननीय श्री मनोज ठाकुर जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	जगदलपुर शहर में पुराने समय से हवाई पट्टी बनी हुई है । जिसका विस्तार करने की बात समाचार पत्रों की माध्यम से मिल रहा है । नया व्यवसायिक हवाई अड्डा शहर से बाहर बनाने के लिए विशेष निर्णय देने की कष्ट करें ।	जगदलपुर में नये एयरपोर्ट/रोड चौड़ीकरण योजना नगर निगम की नहीं है। उपरोक्त कार्य Regional connectivity के तहत राज्य सरकार योजनांर्गत जिला प्रशासन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। पुनरीक्षित सर्वे के पश्चात् किसी को भी हटाने की कोई योजना नहीं है। बल्कि By pass को परिवर्तित करने की योजना पर जिला प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है। उपरोक्त नोटिस तत्कालीन सर्वे के आधार पर जिला प्रशासन के निर्देश पर जारी किये गये है। चूंकि एयर स्ट्रिप विस्तार योजना निगम की नहीं है अतः इस पर निर्णय लेने का अधिकार निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

17. माननीय श्री सुधीर शर्मा जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	नगर निगम क्षेत्र के बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है अगर कार्यवाही की गई तो जानकारी दी जावे ।	नगर निगम क्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर अवैध अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में निगम द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाती है । जैसे वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, धरमपुरा नं. 02 एवं सिरहासार चौक के पास से अतिक्रमण को हटाया गया है तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड एवं गोल बाजार के अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही जारी है । उक्त स्थानों से अतिक्रमण हटाने उपरान्त संजय मार्केट परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी ।
2.	मेरे द्वारा लगाए गए मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना की दुकानों पर अभी तक क्या कार्यवाई हुई या नही हुई उसकी जानकारी देने की कृपा करें ।	आपसे प्राप्त पत्र के उपरान्त दिनांक 29.01.2016 को दुकानों का स्थल निरीक्षण किया गया । निरीक्षण पश्चात् मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के कुल 64 आबंटितों के द्वारा दुकान किराये पर दिया जाना पाया गया । उक्त आबंटितों को दुकान स्वयं चलाने एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयीन नोटिस पत्र कमांक 111, दिनांक 06.04.2016 , 265, दिनांक 20.04.2016 जारी किया गया । नोटिस जारी उपरान्त 64 हितग्राहियों में से 29 आबंटितों के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा 35 आबंटितों के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया । तद् उपरान्त

		उक्त 35 आबंटितों को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पुनः अंतिम नोटिस पत्र कमांक 1390, दिनांक 25.07.2016 को जारी किया गया । अंतिम नोटिस जारी उपरान्त 12 आबंटितों के द्वारा जवाब 64 आबंटितों में से कुल 41 हितग्राहियों के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा 23 आबंटितों के द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया । जवाब न प्रस्तुत करने के कारण उक्त 23 हितग्राहियों को आबंटित दुकानों को निरस्त कर दिया गया है ।

18. माननीय श्री श्रीमती अंजू राय जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	वार्ड में पुराने सेंशन किए गए कार्यो का समय पर पूर्ण निर्माण न होने बाबत् ।	विभागीय अधिकारी द्वारा मान0 पार्षद महो0 को विस्तृत जानकारी पृथक से उपलब्ध कराई जाए।
2.	वार्ड में विभिन्न प्रकार के समस्या हेतु ।	सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण चर्चा नही हो पाई ।

19. माननीय श्री चमेली यादव जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	महादेव घाट रोड निर्माण के लिए निविदा दी गई थी के संबंध में चर्चा ।	महादेव घाट रोड निर्माण एवं पुलिया निर्माण के लिए ठेकेदार श्री उपेन्द्र अग्रवाल को कार्यादेश क्रमांक 2596 दिनांक 04.01.2016 को प्रदाय किया गया है। स्थल पर निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया किन्तु स्थल पर मकानों की स्थिती Low line एरिया पर होने के कारण। रोड लेवल को नाली के साथ बनाया जाना है इसका उल्लेखित डिजाईन के अनुसार coverd drain लेते हुए कार्य कराया जाना है जिसमें निम्नानुसार अतिरिक्त व्यय होगा 1. RCC Drain both side- 8.82 lacs 2. Sand filling - 1.65 lacs 3. RCC Drain cover - 2.94 lacs Total - 13.42 lacs अतिरिक्त व्यय की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।
2.	शिव मंदिर वार्ड के डोंगाघाट में ट्यूबेल खनन किया गया है तो आज दिनांक तक पानी की सप्लाई क्यों नही किया गया है के संबंध में चर्चा ।	शिव मंदिर वार्ड के डोंगाघाट में 150 मि0मी0 व्यास के साधारण नलकूप का खनन कर उसका टेस्टिंग कार्य किया गया था । नलकूप की जल आवक क्षमता कम होने के कारण हैण्डपंप स्थापित किया गया है ।

20. माननीय श्री रजनीश पानीग्राही जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1.	निगम क्षेत्र के सम्पत्तिकर दाताओं से मनमाना संपत्तिकर लेने के संबंध में ।	मान0 पार्षद महो0 के प्रश्न के संबंध में सदन में चर्चा कराई गई जिसका विस्तृत विवरण पेज नं0 15 में दर्शित है ।

2.	नया बस स्टैण्ड स्थित डोर मेट्रिक व्यवस्था से निगम को हो रही लाभ–हानि के संबंध में ।	नया बस स्टैण्ड में स्थित टर्मिनल बिल्डिंग के प्रथम तल के डोरमेट्री को श्री आनंद मिश्रा के द्वारा घोष विक्रय के माध्यम से 8250000/– रूपये से प्राप्त किया गया । दुकान नियम शर्तो के अनुसार शासन से स्वीकृति प्राप्त हो के 6 माह के अन्दर संपूर्ण राशि जमा कराया जाना है । उक्त राशि को जमा करने हेतु श्री आनंद मिश्रा को कार्यालयीन अंतिम नोटिस पत्र क्रमांक 2019, 3089, दिनांक 05.12.2016 एवं 3668, दिनांक 23.01.2016 तथा अंतिम नोटिस क्रमांक 4477, दिनांक 11.03.2016 को जारी कियां गया । संदर्भित जारी नोटिस उपरान्त भी श्री आनंद मिश्रा से 3417250/– रूपये अभी भी लिया जाना शेष है जिसे जमा कराने हेतु कार्यालयीन नोटिस पत्र क्रमांक 4001, दिनांक 16.12.2016 को जारी कर अंतिम 02 दिवस का अवसर प्रदान किया गया । इसके उपरान्त यदि इनके द्वारा राशि जमा नही कराई जाने की स्थिति में बिना सूचना दिये डोरमेट्री को निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी । इनके द्वारा डोरमेट्री का माह दिसम्बर 2016 तक का किराया जमा किया जा चुका है ।

21. माननीय श्री धनसिंग नायक जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1	मेन रोड से अतिक्रमण हटाया गया और तत्काल नाली का निर्माण शुरू किया गया है यह अच्छी बात है । परन्तु मेरे वार्ड में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है नाली का निर्माण ना ही सीसी रोड का निर्माण हो रहा है । करना है तो समान व्यवहार करें पक्षपात ना करें । और तत्काल नाली व सीसी रोड का कार्य शुरू किया जावें ।	वर्ष 2014–15 में अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य कराया जा रहा है ।

22. माननीय श्री राजपाल कसरे जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1	वार्ड मोहर्रिर पर चर्चा	सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण चर्चा नही हो पाई ।

23. माननीय श्रीमती इन्दिरा सिन्हा जी, द्वारा किये गये प्रश्न

1	स्व0 बलीराम कश्यप वार्ड क. 43 में एयरपोर्ट चौंड़ीकरण में 150 मी0 नपाई किये गये है । आगे पीछे 150–150 मी नपाई किये है । पीछे 200 मी लिया जाये । और आगे 100 मी लिया जाये ताकि इसमें बहुत सारा घर बच जाएगा । और बसे घर के लिए उचित व्यवस्था किया जाये । अटल आवास में गुंजाईश नही होगा । लगभग 30 से 35 वर्षो से जीवन यापन कर रहे है । वार्डवासियों का कहना है कि हमें मुहावजा सहित निगम द्वारा आस पास से जमीन दिया जायें । ताकि हम अपना सामान रख सकें ।	जगदलपुर में नये एयरपोर्ट/रोड चौड़ीकरण योजना नगर निगम की नहीं है। उपरोक्त कार्य Regional connectivity के तहत राज्य सरकार योजनांर्गत जिला प्रशासन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। पुनरीक्षित सर्वे के पश्चात् किसी को भी हटाने की कोई योजना नहीं है। बल्कि By pass को परिवर्तित करने की योजना पर जिला प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

		उपरोक्त नोटिस तत्कालीन सर्वे के आधार पर जिला प्रशासन के निर्देश पर जारी किये गये है। चूंकि एयर स्ट्रिप विस्तार योजना निगम की नहीं है अतः इस पर निर्णय लेने का अधिकार निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

सदन में चर्चा के दौरान मान0 श्री रामाश्रय सिंह जी द्वारा सफाई कर्मचारियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर सदन को अवगत कराया गया है कि सुबह 6.00 बजे, 11 बजे, दोपहर 2.00 बजे एवं 6.00 बजे कुल चार बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करायी जा रही है । जिससे कि कर्मचारियों का कार्य प्रभावित हो रहा है तथा उपस्थिति पर ही अधिकांश समय चला जाता है । इसे केवल 02 बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया । प्रस्ताव पर अध्यक्ष(स्पीकर) महो0 जी द्वारा आयुक्त महो0 से जानकारी चाही गई । आयुक्त महो0 जी द्वारा सदन को जानकारी दी गई कि शासन के निर्देशानुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है । उपस्थिति हेतु कर्मचारियों को आ रही परेशानी के चलते उनके कार्य स्थल पर ही बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने का व्यवस्था की जावेगी । जिससे उपस्थिति के लिए कर्मचारियों को कही जाने की आवश्यकता नही होगी । इस पर मान0अध्यक्ष(स्पीकर) महो0 जी द्वारा उक्त व्यवस्था के होते तक पूर्वतः व्यवस्था लागू रखने का निर्देश दिया गया ।

मान0 नेताप्रतिपक्ष श्री संजय पाण्डे जी द्वारा निगम में पूर्व में ठेका समूह के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्य कराने हेतु ठेके पर दिये जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतना महत्वपूर्ण विषय बिना सामान्य सभा में लाये ठेके पर दिया गया । जबकि विषय सामान्य सभा में लाकर चर्चा करानी चाहिए थी । इस पर मान0 अध्यक्ष(स्पीकर) जी द्वारा मान0महापौर महो0 को की कार्यवाही के संबंध में जानकारी देने कहा गया । मान0 महापौर महो0 जी द्वारा सदन को बताया गया कि पूर्व में समूहों के रूप में कार्यरत समूहों के अध्यक्ष को मेरे एवं आयुक्त महो0 जी द्वारा अनेकों बार समूहों का पंजीयन कराने हेतु कहा गया । किन्तु उनके द्वारा समूह का पंजीयन नही कराने की जानकारी सदन को दी गई साथ ही कहा गया कि पंजीयन रहने की स्थिति में प्लेसमेंट एजेन्सी को ठेका देने का प्रश्न ही नही उठता । पंजीयन नही होने के संबंध में आने वाली परेशानी की जानकारी से सदन को अवगत कराने हेतु आयुक्त महो0 जी द्वारा अध्यक्ष(स्पीकर) से अनुमति मांगकर सदन को जानकारी दी गई कि शासन के आदेशानुसार प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से ही कार्य कराया जाना है । समूहों का पंजीयन नही होने के चलते उनके वेतन भुगतान में ऑडिट द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण उनसे देयक पारित करने हेतु बार–बार निवेदन किया जाता है । साथ ही इनके ईपीएफ की राशि कर्मचारी ईपीएफ खाते में जमा नही हो पा रहा है । जिसके कारण कर्मचारियों को ब्याज राशि का नुकसाान हो रहा है । प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों से कार्य कराया जाएगा तथा बिना सक्षम (महापौर/अध्यक्ष(स्पीकर)/आयुक्त) स्वीकृति के किसी कर्मचारी को कार्य से पृथक नही किया जाएगा और न ही रखा जावेगा । यह शर्त उनके अनुबंध में रखा गया है । आयुक्त महो0 जी द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण कार्य हेतु रूट चार्ट बनाकर जीपीएस सिस्टम भी लागू करने की कार्यवाही की जावेगी ।

उपरोक्त संबंध में सदन में विस्तृत चर्चा उपरांत पूर्व में कार्यरत समूहों को अपने समूह का पंजीयन 15 दिवस के भीतर करवा कर आगामी टेण्डर प्रकिया में भाग लेने हेतु मान0 अध्यक्ष(स्पीकर) महो0 द्वारा निर्देशित किया गया ।

<u>जगदलपुर रावघाट रेल लाईन अंतर्गत धरमपुरा/पल्लीगॉव में स्टेशन स्वीकृत करने हेतु कलेक्टर महो0 को पत्र लिखे जाने को लेकर मान0 श्री संग्राम सिंह राणा जी द्वारा सदन के माध्यम से मान0 विधायक महो0 जी प्रति आभार व्यक्त किये जाने का मांग की गई । जिसपर ध्वनिमत से मान0 विधायक महोदय के प्रति सदन में आभार व्यक्त किया गया ।</u>

सदन में मान0 श्री संग्राम सिंह राणा जी द्वारा नये एयरपोर्ट/रोड चौड़ीकरण हेतु किन–किन जगह को तोड़ने के लिए चिन्हाकिंत किया गया है, लोगो को हटाने के पश्चात् विस्तापित करने के लिए क्या–क्या कार्ययोजना बनाई गई है एवं अतिक्रमण हटाने हेतु निगम से जारी नोटिस किस नियम के तहत् जारी किया गया है । जिसपर अध्यक्ष महो0 के अनुमति से आयुक्त महो0 जी द्वारा सदन में बताया गया है कि जगदलपुर में नये एयरपोर्ट/रोड चौड़ीकरण योजना नगर निगम की नही है । उपरोक्त कार्य Regional Connectivity के तहत् राज्य सरकार योजनान्तर्गत जिला प्रशासन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है ।

पुनरीक्षित सर्वे के पश्चात् किसी को भी हटाने की कोई योजना नही है । बल्कि By Pass को परिवर्तित करने की योजना पर जिला प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

उपरोक्त नोटिस तत्कालीन सर्वे के आधार पर जिला प्रशासन के निर्देश पर जारी किये गये है ।

चूंकि एयर स्ट्रिप विस्तार योजना निगमं की नही है । अतः इस पर निर्णय लेने का अधिकार निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर का होना बताया गया है । जिसके पश्चात् मान0 अध्यक्ष(स्पीकर) महो0 जी द्वारा भोजन अवकाश की घोषणा की गई ।

अपरान्ह 2.30 बजे भोजन अवकाश के पश्चात् पुनः 3.30 बजे सदन की कार्यवाही प्रांरभ की गई ।

भोजन अवकाश पश्चात् मान0 श्री संजय बाफना जी के द्वारा सदन के ध्यान में लाया गया कि विजय वार्ड में जो सुलभ था, उसे तोड़ दिया गया था । उसमें वार्ड पार्षद द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है । जिसपर मान0 सभापति लोक निर्माण विभाग श्री के0यशवर्धन राव जी द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण कार्य के संबंध में वार्ड पार्षद महो0 जी को स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस दिया गया । जिसपर वार्ड पार्षद महो0 जी ने नोटिस का जवाब लिखित में प्रस्तुत किया । जिसमें ये कहा गया है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का कब्जा नही किया जा रहा है, वरन् वार्डवासियों के हित में व उपयोग हेतु एक हॉल का निर्माण कराया जा रहा है । जो कि निगम की ही संपत्ति होगी । जिसपर मान0 अध्यक्ष(स्पीकर) महो0 जी द्वारा सदन की राय जानने के पश्चात् कार्यपालन अभियंता को 48 घण्टे में तोड़ने की कार्यवाही करने को निर्देश दिया गया ।

तत्पश्चात् मान0 नेताप्रतिपक्ष जी द्वारा संपत्तिकर मे हुई वृद्धि के संबंध में सदन में बात उठाते हुए कहा कि मान0 महापौर जी द्वारा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार के कर वृद्धि नही करने की बात कही गई थी । किन्तु संपत्तिकर में वृद्धिकर आम जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया गया । इस पर मान0 महापौर जी द्वारा सदन को बताया गया कि उनके द्वारा संपत्तिकर में वृद्धि को लेकर शुरू से विरोध किया जा रहा है तथा सदन में यह विषय जब आया था तब भी संपत्तिकर का विरोध सर्वसम्मति से किया गया था तथा हम आज भी संपत्ति कर के वृद्धि के खिलाफ है ।

मान0 सभापति, राजस्व, श्री अब्दुल रशीद जी द्वारा सदन को बताया गया कि तत्कालीन आयुक्त महो0 जी द्वारा छ0ग0नगरपालिक अधिनियम 1956 की धारा 133(ख) के तहत् दिये गये निर्देश के अनुसार धारा 133 सहपठित धारा 138 की उपधारा(1–क) तथा इसके अन्तर्गत बनाए गये छ0ग0 नगर निगम (भवनों एवं भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारण) नियम 1997 के प्रावधानों के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बढ़े हुए दर को अंगिकृत किया गया । इसके पश्चात् समुचा विपक्ष मान0 अध्यक्ष(स्पीकर) महो के आसन के सामने नीचे जमीन पर बैठकर धरना देते हुए संपत्तिकर वापस लेने का नारा लगाने लगे तथा कुछ समय पश्चात् सदन से वॉक आऊट कर गये ।

मान0 अध्यक्ष(स्पीकर) महो0 जी द्वारा सदन में कोरम के अभाव होने के कारण सदन की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई तथा आगामी बैठक फरवरी में रखने का निर्देश दिया गया ।

सदन की कार्यवाही शाम 4.15 बजे राष्ट्रगान के पश्चात् समाप्त करने की घोषणा की गई ।

हस्ता/– सही
(शेष नारायण तिवारी)
अध्यक्ष
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

//सत्यप्रतिलिपि//

सचिव
सामान्य सभा
नगरपालिक निगम, जगदलपुर